न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर, खण्डपीठ रीवा, (127)

R. 5111-दो/15 **संभाग रीवा म0प्र0**

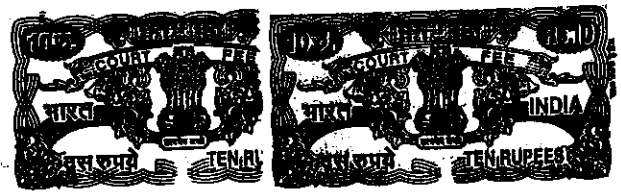

(6)

रेखा विश्वकर्मा पत्नी श्री जागेश्वर विश्वकर्मा उम्र–42 वर्ष, निवासी, मल्लाहन टोला धवारी गली नं0–5 सतना, तहसील रघुराजनगर, जिला सतना म0प्र0 ....**निगराकार**

बनाम

01– श्रीमती गिरजा देवी पत्नी श्री सुरेश कुमार त्रिवेदी निवासी मल्लाहन टोला धवारी गली नं0–3 सतना, तहसील रघुराजनगर, जिला म0प्र0 ....**गैरनिगरकार/आवेदिका**

02– शासन म0प्र0 ....**गैरनिगरकार**

निगरानी विरुद्ध राजस्व निरीक्षक वृत्त सतना, तहसील रघुराजनगर, जिला सतना म0प्र0 के राजस्व प्रकरण क्र0–161ए12/2014–15 में पारित आदेश दिनांक 20/08/2015

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959

मान्यवर,

निगराकार निम्नलिखित तथ्यो के आधार पर यह निगरानी प्रस्तुत कर माननीय न्यायालय से विनय करती है कि :–

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि गैरनिगराकार क्र0–1 ने मौजा धवारी की आराजी नं0–620, 621 कुल रकवा 0.032हे0 के सन्दर्भ में सीमांकन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था, जिस पर सुनवाई करते हुए माननीय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा गैरनिगराकार क्र0–1/आवेदिका के आवेदन पत्र पर एकपक्षीय रूप से सुनवाई करते हुए

क्रमशः.................2

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण क्रमांक 5111–दो/2015/ निगरानी जिला सतना

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
15-09-17	यह निगरानी राजस्व निरीक्षक वृत्त सतना तहसील रघुराजनगर जिला सतना के प्रकरण क्रमांक 161 अ–12/14–15 में पारित आदेश दिनांक 20–8–15 के विरूद्व मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। 2/ निगरानी की ग्राह्यता पर आवेदक अभिभाषक के प्रारंभिक तर्क सुने तथा प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया गया। 3/ मामले में आये तथ्यों पर विचार किया जावे, राजस्व निरीक्षक ने हलका पटवारी हलका पटवारी के साथ दिनांक 17–8–15 को मौके पर अनावेदक 1 की धवारी स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 620, 621 का सीमांकन किया है तथा आपत्ति न आने पर राजस्व निरीक्षक ने आदेश दिनांक 20–8–15 से सीमांकन को अंतिमता प्रदान की है। आवेदक के अभिभाषक ने तर्को में अनावेदक की भूमि के किये गये सीमांकन से आवेदक की भूमि प्रभावित होना बताया है । यदि अनावेदक क–1 की भूमि के सीमांकन से आवेदक स्वयं की भूमि को प्रभावित होना मानती है, तब आवेदक स्वयं की भूमि का सीमांकन आर.आई. अथवा उससे वरिष्ठ अधीक्षक भू अभिलेख से कराने हेतु स्वतंत्र है जिसके कारण अनावेदक की भूमि के किये गये सीमांकन एंव सीमांकन आदेश दिनॉक 20–8–15 में हस्तक्षेप का औचित्य नहीं है। फलतः निगरानी सारहीन होंने से निरस्त की जाती है। सदस्य	